

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2777/2026

1. Rameshnath S/o Ponamnath, Aged About 38 Years,
Resident Of Mer Mandwara Police Station Kalandri District
Sirohi.
2. Rajunath Alias Mulanath S/o Sumarnath, Aged About 36
Years, Resident Of Habapura Police Station Banaskantha
Gujrat
(Presently Lodged In Dist. Jail , Jalore)

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Jagdish Singh
For Respondent(s)	: Mr. Urja Ram Kalbi, Addl. G.A. Mr. Jaikishan Haniya Mr. K.L. Vishnoi

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

27/03/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना सांचौर जिला जालौर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 54/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का घटना की रिपोर्ट में नाम नहीं है। घटना की रिपोर्ट में कृष्ण कुमार एवं गुरुजी नाम के व्यक्ति द्वारा झांसा देकर दस गुना राशि करने के लिए विभिन्न खातों में कुल 03,74,400 /— रुपए जरिए फोन व अलग अलग खातों में जमा कराने के अपराध का आरोप है। उक्त आरोप प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से

बरामदगी हो चुकी है, उनसे अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 11.02.2026 से अभिरक्षा में हैं, प्रकरण के अन्वेषण तथा विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक तथा विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आपराधिक कृत्य में संलिप्त रहे हैं। राजुनाथ से दो सोने के बाजुबंध व रमेशनाथ से आसमानी मोतिया से पिरोया हुआ सोने का तिमणीया (मुठ) एवं 01,70,000/- रुपए बरामद हुए हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध गंभीर किस्म के हैं, अतः उनके विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का घटना की रिपोर्ट में नाम नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 11.02.2026 से अभिरक्षा में हैं, उनसे कोई बरामदगी किया जाना शेष नहीं है तथा उनसे अनुसंधान पूर्ण होना पुलिस ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में बताया है। प्रकरण के अन्वेषण तथा विचारण में समय लगेगा

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. रमेशनाथ पुत्र पूनमनाथ 2. राजूनाथ उर्फ मुलानाथ पुत्र सुमेरनाथ** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु

प्रत्येक एक लाख रुपये का बन्ध—पत्र तथा पचास—पचास हजार रुपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI/70